न्यायालय ::– अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कुसुम सुत्रकार **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 84/2026

1. रणजीत पुत्र उगमाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
2. राजकुमार पुत्र भागुराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवान–कुचामन, राजस्थान।
3. परमाराम उर्फ पिन्टू पुत्र रतनाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।
4. झाबर सेवदा उर्फ सम्पत सेवदा पुत्र मोहनराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

—— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——— अभियोगी

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 91/2026

1. भूराराम पुत्र पुसाराम, निवासी कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

—— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——— अभियोगी

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री हरदेव सिंह चौधरी श्री श्रीराम चौधरी	–	अधिवक्ता, अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्टू एवं झाबर उर्फ सम्पत की ओर से।
2.	श्री रामेश चौधरी		अधिवक्ता श्री भूराम राम
3.	श्री मनीष शर्मा	–	अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
4.	श्री भवानी सिंह	–	अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 121(1), 132, 189(2), भारतीय न्याय संहिता
प्रथम सूचना संख्याः 155/2026, पुलिस थाना कुचामन सिटी

दिनांक :– 18–06–2026

–:: आदेश ::–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्टू, झाबर उर्फ सम्पत एवं प्रार्थी/अभियुक्त भूराराम की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पृथक–पृथक अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पेश किए गए है। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों के एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बंधित होने के कारण उक्त दोनों जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण इस आदेश के जरिये एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्रों की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 30–5–2026 समय सीसीटीएनएस द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रपट रोजनामचा आम नम्बर 094 दिनांक 29–05–2026 के थानाधिकारी सतपाल सिंह निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता बजरंग सिंह, मोतीराम, छोटूराम मय सरकारी वाहन बोलरो चालक बिरबलराम के रपट संख्या –65, पुलिस थाना कुचामन में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि की दिनांक 29–05–2026 को सरला बिड़ला कल्याण मंडप में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कुचामन आगमन पर आरएलपी कार्यकर्ता भूराराम, रामनिवास ने विरोध प्रदर्शन की आसूचना प्राप्त हुई थी। दिन में करीब 12:00 बजे के आस–पास लक्ष्मी होटल, कुचामन बाईपास के पास में 10–15 चौपहिया वाहन के साथ होटल के अन्दर 40–50 लड़के इकट्ठे हुये थे, जो रामनिवास के नेतृत्व में इकट्ठे हुये। उक्त स्थान पर जाब्ता मामूर कर समझाईश की गई। समझाईश के पश्चात रामनिवास व भूराराम ने आश्वत किया कि "हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही कोई शांति व्यवस्था भंग करेंगे।" समझाईश के बाद कुछ लोग वहा से मोटरसाईकिल पर सवार

होकर चले गये। उक्त लोगों में भूराराम व रामनिवास तथा 10–15 अन्य लोग शामिल थे। भूराराम व रामनिवास 10–15 लड़कों को लेकर गलियों से होते हुये स्टेशन रोड़ कोठारी भवन के पास जाट होस्टल वाली गली में पहुंच गये। ज्योही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल अपनी एस्कोर्ट गाड़ी के साथ प्रोग्राम स्थल वाली रोड़ पर पहुंचे, उसी दौरान जाट छात्रावास वाली गली से रामनिवास, भूराराम व 10–15 लड़को के साथ एस्कोर्ट गाड़ी को रोककर एवं रास्ता पूर्णतया अवरूद्ध कर नारे बाजी करने लग गये। वहां पर तैनात जाब्ता शंभू सिंह, प्रदीप के उक्त लोगो को रोकने की कोशिश की गई एवं भारी मशक्कत करनके सड़क से साईड़ में किया जाकर खेदड़ा गया और वीआईपी के काफिले को आगे निकाला गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर जबरदस्ती शामिल होने का प्रयास किया, जिनको जाब्ते की मदद से दूर किया गया। इसलिए कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155/2026 संस्थित की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 121(1), 132, 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की आंशका से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पेश किया गया है।

4. बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या तथ्यों के आधार पर आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29–05–2026 को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की एस्कोर्ट गाड़ी रोककर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया गया न ही नारेबाजी करते हुए राजकार्य बाधां पहॅुचाई गई है। पुलिस द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तथ्यों के आधार पर नामजद किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ग्राम दीपपुरा,

कुकनवाली एवं कुचामन के स्थाई निवासी है, जहां पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की चल एवं अचल सम्पत्ति स्थित है। इसलिये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग हेतु तैयार व तत्पर है। इसलिये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसलिये जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की एस्कोर्ट को जबरदस्ती रोका एवं रास्ता अवरूद्ध कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करने का धारा 121(1), 132, 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तहत गम्भीर अपराध के आरोप है। इसलिये अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार से हैः–

क.सं.	प्रथम सूचना संख्या	पुलिस थाना	धारा	नतीजा
अभियुक्त रणजीत				
1.	157/2026	कुचामन	191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त राजकुमार				
1.	174/2021	चितावा	143, 447, 323, 427, 341 भारतीय दण्ड संहिता	अन्वीक्षाधीन
2.	26/2013	चितावा	341, 323, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	अन्वीक्षाधीन
3.	157/2026	कुचामन	191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त परमाराम उर्फ पिन्टू				
1.	157/2026	कुचामन	191(2), 191(3), 126(2),	अन्वीक्षाधीन

			115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता	
अभियुक्त झाबरमल उर्फ सम्पत				
1.	157/2026	कुचामन	191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
अभियुक्त भूराराम				
1.	157/2026	कुचामन	191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 285 भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन
2.	94/2026	कुचामन	127(2), 126(2), 115(2) 352, 189(2) भारतीय न्याय संहिता	अन्वीक्षाधीन

8. केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस जाब्ते के साथ धक्का मुक्की कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने व उन पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उनको चोटें कारित करने के संबंध में अनुसंधान विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रणजीत, राजकुमार, परमाराम उर्फ पिन्टू, झाबरमल उर्फ सम्पत तथा भूराराम के विरूद्ध पूर्व आपराधिक प्रकरण संस्थित होने का तथ्य दर्शित होता है।

9. इसके साथ ही वर्तमान में ऐसे अपराधों में बढोतरी हुई है एवं केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध से कोई सम्बंध नहीं हो या उसे अपराध में झूंठा संलिप्त किया गया हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा ए.आई.आर. 2014 (एस.सी.) पेज–626** में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "Power in Sec. 438 Cr.P.C. is extraordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases, Where it appears that the person may be falsely implicated........"

10. इस प्रकार उक्त सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार धारा 438 दंप्रसं. के तहत प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जहॉ कोई मामला आपवादिक प्रकृति का हो, जिसमें यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में बिना किसी उचित आधार के संलिप्त किया

गया है तथा प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता हो। केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के सम्बन्ध में ऐसी कोई परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं कि धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

::–<u>आदेश</u>::–

11. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **(1)**रणजीत पुत्र उगमाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान,**(2)** राजकुमार पुत्र भागुराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना चितावा, जिला डीडवान–कुचामन, राजस्थान, **(3)** परमाराम उर्फ पिन्टू पुत्र रतनाराम, निवासी दीपपुरा, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना–कुचामन, राजस्थान, **(4)** झाबर सेवदा उर्फ सम्पत सेवदा पुत्र मोहनराम, निवासी कुकनवाली, पुलिस थाना कुचामनसिटी, डीडवाना–कुचामन, राजस्थान एवं **(5)** भूराराम पुत्र पुसाराम, निवासी कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन की ओर से प्रथम सूचना संख्या 155/2026 पुलिस थाना कुचामन के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

12. आदेश आज दिनांक 18–06–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

::– प्रमाण–पत्र::–

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड़ करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(गजेन्द्र सिंह)
आशुलिपिक ग्रेड प्रथम

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिप न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।